

**न्यायालय तहसीलदार कठुमर (जलवार) राज.**

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ..... बनाम .....

प्रकरण अर्न्तगत धारा 81 एलआर पुस्त

प्रकरण संख्या :- RA/37

निर्णय दिनांक :- 31-12-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि याम तुसारी  
की आ.ख.न. 454 कुल रकबा 1.08 किस्म जमीन गोंगुम में से 0.10  
रकबा पर की अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लकी  
सातकर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का तुसारी द्वारा दिनांक 12/6/18


को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईव  
भू.अ.निरी. शीख के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया  
जाकर अतिक्रमी नेमावतान सिंह जाति पाटव निवासी तुसारी को भू.  
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील  
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी  
उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 454 रकबा 1.08 में से 0-01  
रकबा किस्म गोंगुमपरकर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वॉरसायम को अतिक्रमित  
रकबा से वेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं टण्ड स्वरूप तामान 63 Pais का  
50 गुणा 25 रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा  
जाते, पैनल्टी तशूली एवं वेदखली हेतु हल्का पटवारी तुसारी भू.अ.निरी.  
शीख को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दपतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

तहसीलदार  
कठुमर (जलवार) राज.

अतिरिक्त :- प. ए.

1 म. स. 4 क. 16 ख. स. 2  
दि. 2018.19 ग. स. 1 क. 3.2

  
तहसीलदार  
कठुमर (जलवार)

कठुमर (जलवार) राज.